अध्याय-II

योजना तथा आवृतन

2.1 वार्षिक कार्य योजना एवं बजट तैयार करना

एम.डी.एम. योजना स्कूल स्तर पर अनुरक्षित एवं ब्लॉक, जिला तथा राज्य स्तर पर संकलित सूचना के आधार पर राज्यों/संघशासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा वार्षिक कार्य योजना एवं बजट (वा.का.यो. एवं ब.) तैयार करने के महत्व को निर्धारित करती है। यह योजना के ऊपर से नीचे अभिगम की अपेक्षा नीचे से ऊपर अभिगम की परिकल्पना करती है। यह सुनिश्चित करने कि वे भागीदारी योजना प्रक्रियाओं के माध्यम से स्कूल स्तर पर तैयार किए जा रहे हैं, यह आवश्यक है कि योजना तैयार करने की प्रक्रिया का दस्तावेजीकरण हो। वा.का.यो. एवं ब. ढांचा जहाँ तक एम.डी.एम. योजना के कार्यान्वयन का संबंध है, राज्य के वर्तमान परिदृश्य का व्यापक चित्र प्रस्तुत करने के लिए परिकल्पित किया गया है इसमें प्रबन्धन ढांचा, कार्यान्वयन प्रक्रियाएं, निगरानी प्रणाली, लक्ष्य समूहों के सामाजिक ब्यौरे, अवसंरचना स्थिति, मूल्यांकन अध्ययनों के परिणाम, समस्याओं से निपटने की युक्तियां, समुदाय भागीदारी, बेहतर प्रथाएं और नई पहलें आदि शामिल होते हैं। अपने वा.का.यो. एवं ब में राज्यों/संघशासित क्षेत्र द्वारा निम्नलिखित सूचना शामिल की जाएगीः

(i) स्कूलों के कार्यदिवसों की प्रत्याशित संख्या।

(ii) बच्चों, जिन्होंने एम.डी.एम. का लाभ लिया है, की औसत संख्या पर जिला-वार सूचना।

(iii) कक्षा I-V में नामांकन पर जिला-वार सूचना और बच्चों, जो चालू वर्ष में एम.डी.एम. का लाभ लेने को अनुमानित हैं, की संख्या।

(iv) पूर्व वर्ष में आवंटित खाद्यानों के उठान तथा उपयोग के जिला-वार ब्यौरे।

(v) पूर्व वर्ष में खाना पकाने की लागत के प्रति केन्द्रीय सहायता के आवंटन और उपयोग के जिला-वार ब्यौरे।

(vi) चालू वर्ष के लिए खाना पकाने की लागत के प्रति खाद्यानों तथा केन्द्रीय सहायता के जिला-वार ब्यौरे आदि।

ये योजनाएं मंत्रालय के कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं। विचार विमर्शों और का.अ.बो. द्वारा दिए गए अनुमोदन के आधार पर निम्नलिखित के लिए केन्द्रीय सहायता संस्वीकृत/जारी की जाएगीः-

(i) खाद्यानों की मात्रा का जिला-वार आवंटन।

(ii) खाना पकाने की सहायता का जिला-वार आवंटन।

(iii) परिवहन आर्थिक सहायता।

(iv) प्रबंधन, निगरानी तथा मूल्यांकन के लिए निधियां

(v) रसोई एवं भण्डार के निर्माण तथा रसोई उपकरणों के लिए जिला-वार आवंटन।

विभिन्न राज्यों के वा.का.यो. एवं ब. की संवीक्षा में पता चला कि 16 राज्यों[2] ने अपने वा.का.यो. एवं ब. तैयार करते समय नीचे से ऊपर अभिगम का अनुपालन नहीं किया था। नीचे से ऊपर अभिगम के अभाव में इन राज्यों के वा.का.यो. एवं ब. बच्चों के नामांकन, स्कूलों/मदरसों/मकतबों/शि.गा.यो./वै.अ.शि. केंद्रों की संख्या आदि का वास्तविक चित्र प्रस्तुत नहीं करते हैं। हमने निम्नलिखित चरणों में कमियां देखीः

- **आंध्र प्रदेश** में राज्य सरकार ने ₹84.91 करोड़ की अधिक केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए वा.का.यो. एवं ब. में नामांकन के आंकड़े बढ़ा कर दर्शाये थे। वर्ष 2010-11 के वा.का.यो. एवं ब. में शामिल सरकारी स्कूलों, सहायता प्राप्त स्कूलों तथा स्थानीय निकाय स्कूलों के नामांकन आंकड़े बिना किसी परिवर्तन के 2011-12 के लिए भी बनाए रखे गए थे जबकि वास्तविक नामांकन आंकडों ने 2011-12 के दौरान कमी दर्शाई थी।
- **छत्तीसगढ़** में राज्य नोडल विभाग ने वैकल्पिक तथा अभिनव शिक्षा (वै.अ.शि.) केन्द्रों और राजीव गांधी शिक्षा मिशन (रा.गा.शि.मि.) के

[2] आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, ओडिसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड तथा पश्चिम बंगाल

अन्तर्गत 93 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में से 24 से सम्बन्धित डाटा प्राप्त नहीं किया था। तद्नुसार ये स्कूल तीन वर्षों (2011-14) के वा.का.यो. एवं ब. में शामिल नहीं किए गए थे। परिणामस्वरूप इन स्कूलों के छात्र भी लेखापरीक्षाधीन अवधि में एम.डी.एम. प्राप्त करने से वंचित रह गए थे। विभाग के पास राज्य में चल रहे वै.अ.शि. की संख्या से सम्बन्धित डाटा भी नहीं था।

- **उत्तर प्रदेश** में 12 नमूना जांचित जिलों[3] में अभिलेखों की संवीक्षा में पता चला कि 2010-14 के दौरान राज्य में एम.डी.एम. कार्यान्वयक नोडल विभाग को इन जिलों द्वारा निधियों की मांगे नहीं भेजी गई थीं और स्वयं राज्य नोडल विभाग ने योजना के विभिन्न घटकों के लिए निर्धारित दरों तथा प्रतिशतताओं के आधार पर मांगें प्रक्षेपित की थीं।

- **मणिपुर** में मंत्रालय ने राज्य द्वारा प्रस्तुत वा.का.यो. एवं ब. के आधार पर वर्ष 2009-10 के लिए प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्तर पर शि.गा.यो./वै.अ.शि. केन्द्रों में क्रमशः 27,186 तथा 19,279 बच्चों के लिए एम.डी.एम. के अन्तर्गत सहायता अनुमोदित की थी। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि वा.का.यो. एवं ब. में यथा दावित शि.गा.यो./वै.अ.शि. केन्द्र राज्य में विद्यमान नहीं थे। यह राज्य द्वारा प्रस्तुत वा.का.यो. एवं ब. की विश्वसनीयता का गम्भीर रूप से क्षय करता है।

2.1.1 स्कूलों/शि.गा.यो./वै.अ.शि. केन्द्रों को आवृत न करना

एम.डी.एम. मार्गनिर्देश परिकल्पना करते हैं कि सभी सरकारी स्कूलों/विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों/मदरसों/मकतबों में प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत सभी बच्चों को गर्म पका खाना प्रदान किया जाना चाहिए। तथापि, यह देखा गया था कि आठ राज्यों में कुछ स्कूल/विशेष प्रशिक्षण केन्द्र एम.डी.एम. योजना के अन्तर्गत आवृत नहीं किए गए थे और परिणामस्वरूप इन स्कूलों में अध्ययनरत बच्चे एम.डी.एम. से वंचित हो गए थे। ऐसे स्कूलों/विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों के ब्यौरे नीचे **तालिका 2.1** में दिए गए हैं:

[3] बरेली, बिजनौर, गाजीपुर, हरदोई, कानपुर, कुशीनगर, मिर्जापुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, सम्भल, शाहजहॉपुर, सिद्धार्थ नगर

तालिका 2.1: राज्यों, जहाँ स्कूल/विशेष प्रशिक्षण केन्द्र आवृत करने से रह गए के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य का नाम	आवृत न किए गए स्कूल/विशेष प्रशिक्षण केन्द्र
1.	बिहार	गया, कटिहार, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, रोहतास तथा सीतामढ़ी जिलों में सभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना में शामिल नहीं किए गए थे जबकि गया, मुजफ्फरपुर तथा रोहतास में वै.अ.शि. केन्द्र भी योजना में शामिल नहीं किए गए थे।
2.	छत्तीसगढ़	2011-14 के दौरान 24 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आवृत नहीं किए गए थे।
3.	दिल्ली	2009-10 के दौरान शि.गा.यो./वै.अ.शि. केन्द्रों में अध्ययनरत 18,000 बच्चों में से 16846 बच्चे आवृत नहीं किए गए थे।
4.	गुजरात	2013-14 के दौरान 5319 स्कूल आवृत नहीं किए गए थे।
5.	जम्मू एवं कश्मीर	2010-11 के दौरान 11 प्राथमिक स्कूल आवृत नहीं किए गए थे।
6.	पंजाब	लुधियाना में 2009-14 के दौरान पांच सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा I से VIII में अध्ययनरत 12349 बच्चों को एम.डी.एम. प्रदान नहीं किया गया था।
7.	उत्तर प्रदेश	2009-10 से 2013-14 के दौरान 549 तथा 12101 के बीच स्कूल आवृत नहीं किए गए थे। अगस्त 2010 में राज्य सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2011-12 से पदोन्नत हाई स्कूलों तथा इण्टरमीडिएट कालेजों में अध्ययनरत प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों को आवृत करने का निर्णय लिया। तथापि, सहारनपुर जिले में 87 ऐसे स्कूलों ने एम.डी.एम. प्रदान करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। परिणामस्वरूप सितम्बर 2010 से सितम्बर 2011 तक इन स्कूलों में 33366 बच्चों को एम.डी.एम. प्रदान नहीं किया जा सका था। इन स्कूलों में एम.डी.एम. प्रदान करने का कार्य केवल अक्तूबर 2011 में एन.जी.ओ. को सौंपा गया था।
8.	पश्चिम बंगाल	2009-10 से 2013-14 के दौरान 288 से 11002 के बीच स्कूल आवृत नहीं किए गए थे।

तथ्य यह है कि राज्य सरकारों ने स्कूलों की पर्याप्त संख्या को एम.डी.एम. की परिधि से बाहर रखा, न केवल राज्य एम.डी.एम. के प्रावधानों का पूर्णतया पालन करने में विफल रहे, बल्कि योजना के अन्तर्गत सभी स्कूलों की पहचान करने तथा आवृत करने के सन्तुलित तन्त्र की भी कमी रही।

2.2 नामांकन पर प्रभाव

एम.डी.एम. योजना स्कूलों तक बच्चों को आकर्षित करने और नामांकन में सुधार लाने के उद्देश्य से आरम्भ की गई थी। 2009-10 से 2013-14 तक के दौरान सरकारी स्कूलों, सहायता प्राप्त स्कूलों, विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों तथा मदरसों/मकतबों में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों का नामांकन नीचे चार्ट में दिया गया है:

चार्ट: एम.डी.एम. आवृत स्कूलों में नामांकन

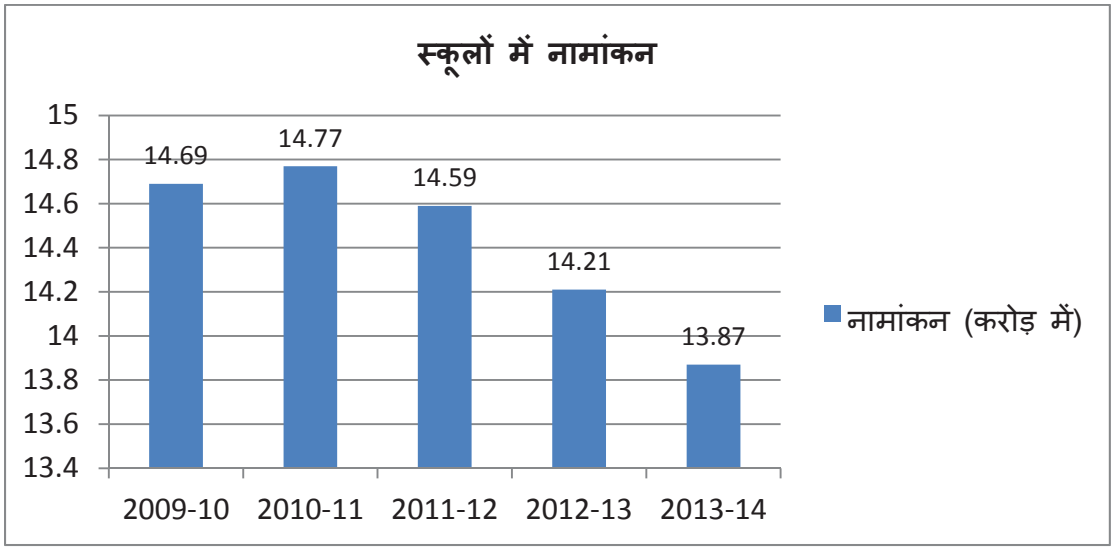

(स्रोत: मंत्रालय से डाटा)

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि बच्चों के नामांकन ने गत वर्षों (2010-11 के दौरान को छोड़कर) लगातार कमी दर्ज की है। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन का राज्यवार डाटा **अनुबन्ध-II** में दिया गया है। नामांकन डाटा के विश्लेषण से निम्नलिखित पता चला:

- 2009-10 से 2013-14 तक के दौरान नामांकनों में घटती प्रवृत्ति **हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उत्तराखण्ड, लक्षद्वीप** तथा **पुदुचेरी** में देखी गई थी। अन्य राज्यों में नामांकन की विविध प्रवृत्ति थी।
- प्राथमिक स्तर पर नामांकन 10.34 करोड़ (2009-10) से 9.12 करोड़ (2013-14) तक घट गया अर्थात् 12 प्रतिशत की कमी।

- तथापि उच्च प्राथमिक स्तर में नामांकन 4.35 करोड़ (2009-10) से 4.76 करोड़ (2013-14) तक बढ़ गया अर्थात् 9 प्रतिशत की वृद्धि।

2009-10 से 2013-14 के दौरान निजी स्कूलों में प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन दर्शाने वाला चार्ट नीचे दिया गया है:

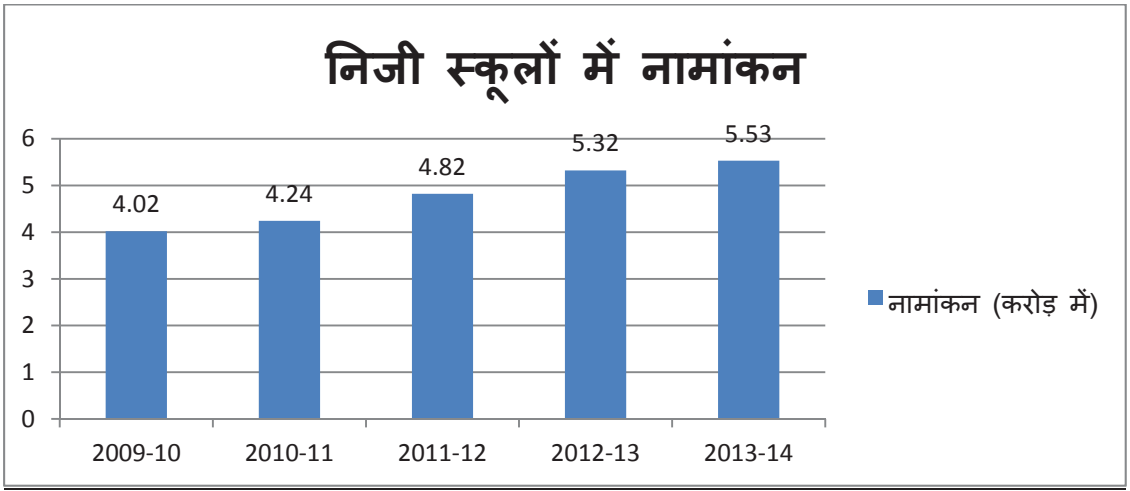

(स्त्रोत: सर्व शिक्षा अभियान का डाटा)

उपर्युक्त डाटा से स्पष्ट निष्कर्ष है। एक पांच वर्षीय लेखापरीक्षा अवधि के दौरान प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्तरों में एम.डी.एम. आवृत स्कूलों तथा निजी स्कूलों में नामांकन ने विपरीत प्रवृत्तियां दर्ज कीं। जबकि निजी स्कूलों में नामांकन 38 प्रतिशत तक बढ़ गया, वहीं यह एम.डी.एम. आवृत सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 5.58 प्रतिशत तक कम हो गया जो स्पष्टतया स्थापित करता है कि जनसंख्या का एक बढ़ता वर्ग है जो मुफ्त खाने की अपेक्षा शिक्षा की गुणवत्ता को प्राथमिकता देता है। दूसरा, ये यह भी दर्शाता है कि स्वयं मुफ्त एम.डी.एम. भी स्कूल में बच्चों को रोकने की एक पर्याप्त शर्त नहीं है जब तक इसे अध्यापन/सीखने के परिणामों में सुधार के साथ नहीं जोड़ा जाता है।

यह समझने का समय है कि खाना शिक्षा के बड़े प्रयोजन की आवश्यकता को पूरा करने वाला साधनों का एक अंत है। स्पष्ट प्रवृत्तियां देखी गई थीं जिन्होंने दर्शाया कि खाने का अपना प्रयोजन तभी पूरा होगा जब अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के संबंध में अभिभावकों की प्रत्याशाएं पूरी हो जाए।

2.3 वंचित वर्गों से सम्बन्धित गरीब बच्चों की पहचान

एम.डी.एम. योजना के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य वंचित वर्गों से सम्बन्धित गरीब बच्चों को अधिक नियमित रूप से स्कूल जाने और कक्षा कार्यकलापों पर उन्हें केन्द्रित करने में सहायता करने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह देखा गया था कि **अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, ज. एवं क., झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, पंजाब, ओडिशा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल** तथा **दिल्ली** की राज्य सरकारों ने वंचित वर्गों से सम्बन्धित गरीब बच्चों की पहचान करने के लिए कोई मानदण्ड नहीं बनाया था। ऐसे बच्चों का पता लगाने के लिए न ही कोई सर्वेक्षण किया गया था।

अण्डमान एवं **निकोबार द्वीप समूह** में गरीब तथा वंचित वर्गों की पहचान करने का अगस्त 2011 में सहायक निदेशक, शिक्षा (प्रशासन) द्वारा निर्धारित किया गया था। मानदण्ड के अनुसार वंचित वर्गों से सम्बन्धित बच्चे तीन श्रेणियों, अर्थात् (i) अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित बच्चे (ii) अन्य पिछड़ा वर्गों से सम्बन्धित बच्चे (iii) अनाथ, झाड़ू वालों के परिवारों के बच्चे, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे तथा एच.आई.वी. प्रभावित अथवा संक्रमित बच्चों में विभक्त किए गए थे। तथापि, कुल लक्ष्य जनसंख्या में से वंचित वर्गों से सम्बन्धित गरीब बच्चों की संख्या की अभी पहचान की जानी थी (दिसम्बर 2014)।

किसी मानदण्ड अथवा सर्वेक्षण के अभाव में स्कूल जाने के लिए वांचित वर्गों से सम्बन्धित गरीब बच्चों को प्रोत्साहित करने का एम.डी.एम. योजना का एक प्रमुख उद्देश्य केवल कागजों पर रहा।

2.4 योजना के बारे में जानकारी

मंत्रालय के निर्देश दिनांक 22 जुलाई 2013 टी.वी., रेडियो, समाचार पत्रों आदि के द्वारा अभिज्ञात तथा पात्र परन्तु नामांकित नहीं बच्चों के माता पिता के बीच योजना के बारे में जानकारी देने के लिए विशेष योजनाएं बनाने की परिकल्पना की गई। लेखापरीक्षा में देखा कि आठ राज्यों यथा **अरूणाचल प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, मणिपुर** तथा **पंजाब** में इस दिशा में कोई पहल नहीं की गई थी।

2.5 आर.टी.आई. अधिनियम के अन्तर्गत प्रदर्शन

मार्गनिर्देशों के पैरा 6.3 के अनुसार निम्नलिखित सूचना आर.टी.आई. अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रत्येक स्कूल में साप्ताहिक/मासिक आधार पर प्रदर्शित की जानी चाहिएः

(i) प्राप्त खाद्यानों की गुणवत्ता, प्राप्ति की तारीख
(ii) प्रयुक्त खाद्यानों की गुणवत्ता
(iii) खरीदे गए, प्रयुक्त अन्य संघटक
(iv) एम.डी.एम. प्रदत्त बच्चों की संख्या
(v) दैनिक मीनू
(vi) कार्यक्रम में अन्तर्ग्रस्त समुदाय सदस्यों का रोस्टर

12 राज्यों/सं.शा.क्षे. यथा **अरूणाचल प्रदेश, दिल्ली,** (7 स्कूल), **गोवा, कर्नाटका, केरल, नागालैण्ड, ओडिशा, पुदुचेरी, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखण्ड** तथा **लक्षद्वीप** में नमूना जांचित स्कूलों में यह देखा गया था कि ऊपर कथित निर्देशों का पालन नहीं किया गया था।

2.6 बच्चों का आवृतन

राज्य, मंत्रालय को अपनी तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय नामांकित बच्चों की संख्या और तिमाही के दौरान एम.डी.एम. प्राप्त करने वाले औसत बच्चों की संख्या के अनुसार उपलब्धि का विशेष उल्लेख करते हैं। सभी राज्यों में 2009-10 से 2013-14 के दौरान तिमाही प्रगति रिपोर्टों के आधार पर एम.डी.एम. योजना में प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर आवृत तथा नामांकित बच्चों की औसत संख्या (राज्य वार ब्यौरे **अनुबन्ध-।।** में) का वार्षिक डाटा नीचे दिया गया हैः

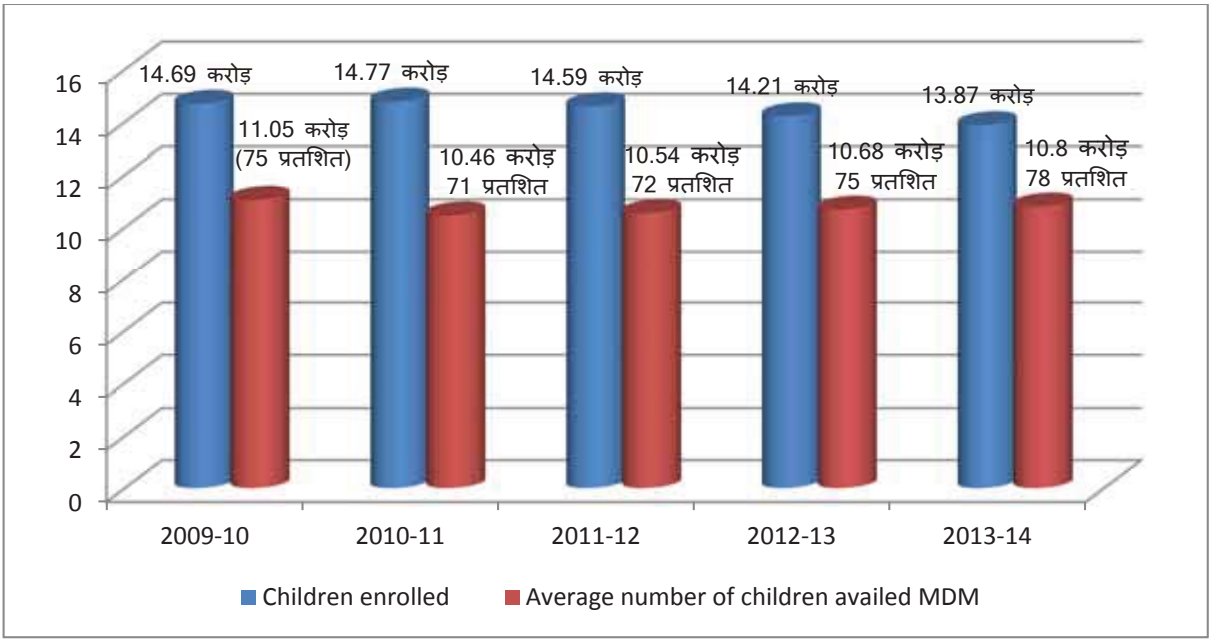

(स्रोत: मंत्रालय का डाटा)

उपर्युक्त से यह देखा जाए कि नामांकित बच्चों की तुलना में बच्चों का आवृतन 71 से 78 प्रतिशत के बीच रही। कुछ राज्यों में 2013-14 के दौरान बच्चों का आवृतन काफी कम थी यथा **झारखण्ड** (54 प्रतिशत), **त्रिपुरा** (60 प्रतिशत), **उत्तर प्रदेश** (55 प्रतिशत), **चण्डीगढ़** (47 प्रतिशत), **दिल्ली** (61 प्रतिशत)। डाटा के विश्लेषण से निम्न का भी पता चला किः

- प्राथमिक स्कूलों में बच्चों की सूचित आवृतन में 7.85 करोड़ (2009-10) से 7.10 करोड़ (2013-14) तक लगातार कमी हुई थी।
- तथापि उच्च प्राथमिक स्कूलों ने 3.20 करोड़ बच्चों (2009-10) से 3.69 करोड़ बच्चों (2013-14) तक की वृद्धि सूचित की।

बच्चों के कम आवृतन के कारण निम्न को आरोप्य थेः

- नियमित रूप से स्कूल न जाने वाले बच्चे।
- कुछ बच्चे स्कूल में दिए गए खाने को पसन्द नहीं करते और अपने टिफिन में घर का बना खाना लाते हैं।
- स्कूलों को खाद्यान्नों की आपूर्ति में व्यवधान।
- कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित दिनों से कम पर खाना दिया जाना।

- नोडल विभाग, जिलों, ब्लाकों एवं स्कूलों द्वारा निधियों की प्राप्ति में विलम्ब।

वर्ष 2012-13 के लिए एम.डी.एम. योजना की निगरानी के लिए मंत्रालय द्वारा लगाए गए विभिन्न राज्यों की निगरानी संस्थाओं (नि.सं.) की रिपोर्टों की जांच ने दर्शाया कि विभिन्न राज्यों में दौरे के दिन को एम.डी.एम. प्राप्त करने वाले बच्चों की वास्तविक संख्या की प्रतिशतता मंत्रालय को सम्बन्धित राज्यों द्वारा भेजे गए डाटा की तुलना में पर्याप्त रूप से कम थी। विभिन्नताओं के ब्यौरे नीचे **तालिका 2.2** में दिए गए हैं:

तालिका 2.2: निगरानी संस्था के दौरे के दिन एम.डी.एम. प्राप्त करने वाले बच्चों के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य का नाम	नि.सं. द्वारा देखे गए स्कूलों की संख्या	दौरे के दिन एम.डी.एम. प्राप्त करने वाले बच्चों की प्रतिशतता	मंत्रालय द्वारा भेजे गए डाटा के अनुसार एम.डी.एम. प्राप्त करने वाले औसत बच्चों की प्रतिशतता	अंतर (प्रतिशत में)
1.	आंन्ध्र प्रदेश	160	71.57	81	9.43
2.	बिहार	200	58.12	67	8.88
3.	गुजरात	133	44.31	69	24.69
4.	कर्नाटक	240	74.32	90	15.68
5.	मध्य प्रदेश	367	55.27	72	16.73
6.	ओडिशा	160	60.11	88	27.89
7.	तमिलनाडु		84.02	87	2.98
8.	उत्तर प्रदेश	160	48.71	54	5.29

तालिका सूचित आंकड़ों की तुलना में दौरे के दिन एम.डी.एम. प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या में भिन्नता दर्शाती है। गुजरात (25 प्रतिशत) और ओडिशा (28 प्रतिशत) के मामले में भिन्नता अधिक उच्चरित थी। इस प्रकार एम.डी.एम. प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या पर डाटा, की तुलना करने के लिए मौजूद तन्त्र का गम्भीर रूप से क्षय किया जाता है। यह तथ्य कि सूचित आंकड़े नमूना जांचित मामलों में स्थिर रूप से अधिक हैं जैसा ऊपर स्पष्ट किया गया, सभी राज्यों में गलत सूचना देने की सम्भावना प्रस्तुत करता है।

इस प्रकार खाद्यान्नों तथा खाना पकाने की लागत के दुरुपयोग की सम्भावना स्पष्ट थी क्योंकि यह आंकड़ों के संस्थानीकृत अतिरंजना की प्रणाली थी जिसके कारण रिसाव तथा गबन हुए।

2.7 डाटा में भिन्नता

नामांकन डाटा, जैसा राज्य सरकारों द्वाना भेजा गया, मंत्रालय द्वारा खाद्यान्नों तथा खाना पकाने की लागत के आबंटन का आधार बनता है। मंत्रालय राज्यों द्वाना भेजी गई तिमाही प्रगति रिपोर्टों (ति.प्र.रि.) के आधार पर नामांकन तथा एम.डी.एम. योजना के अन्तर्गत आवृत किए गए बच्चों की संख्या का भी अनुरक्षण करता है।

राज्यों से संग्रहित नामांकन और बच्चों के आवृतन का डाटा मंत्रालय द्वारा अनुरक्षित डाटा से असंगत था, जो अविश्वसनीय डाटा प्रग्रहण दर्शाता है। ब्यौरे **अनुबन्ध-III** में दिए गए हैं। बच्चों के आवृतन के डाटा में पर्याप्त भिन्नताएं **आंन्ध्रप्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, ज. एवं क., झारखण्ड, कर्नाटक, ओडिशा, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश** तथा **पश्चिम बंगाल** में देखी गई थीं। इस प्रकार एम.डी.एम. प्राप्त करने वाले बच्चों के डाटा की तुलना करने के लिए मौजूद तन्त्र से गम्भीर रूप से समझौता किया गया था।

2.8 बच्चों से विकल्प

एम.डी.एम. मार्गनिर्देशों के अनुसार गर्म पका खाना प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर सरकारी, स्थानीय निकाय तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और विशेष प्रशिक्षण केन्द्र में सभी बच्चों को प्रदान किया जाना है। योजना में या तो एम.डी.एम. को लेने अथवा न लेने के विकल्प के लिए बच्चों को समर्थ करने का कोई प्रावधान शामिल नहीं था। तथापि, यह देखा गया था कि कुछ बच्चों को दिए गए खाने की खराब गुणवत्ता अथवा घर से अपना स्वयं का टिफिन लाने की प्राथमिकता आदि जैसे विभिन्न कारणों के कारण एम.डी.एम. नहीं ले रहे थे। एम.डी.एम. प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या का डाटा बहुत महत्व रखता है क्योंकि यह निधियों खाद्यान्नों की आवश्यकता, खाना पकाने की लागत आदि के निर्धारण, और इनके आगे निर्गम के अनुसार योजना कार्यान्वयन को प्रभावित करता है।

इस विशाल डाटा के अभाव में वा.का.यो. एवं ब. में आवश्यकता के अवास्तविक होने की संभावना है।

इसलिए यह सुनिश्चित करने कि योजना मितव्ययी रूप से तथा दक्षता से कार्यान्वित की जाती है, के उद्देश्य से राज्यों द्वारा प्रस्तुत आवश्यकताओं में उचित समायोजन का प्रावधान अवश्य किया जाए।

2.9 मुद्रा स्फीत दर के अनुसार खाना पकाने की लागत निर्धारित न करना

प्रति बच्चा प्रतिदिन खाद्यान्न आवश्यकता, प्रति बच्चा खाना पकाने की वर्तमान लागत की पर्याप्तता और खाना पकाने की लागत प्रतिमान में मुद्रा स्फीति सूचकांक में घटक के लिए उचित डिज़ाइन और संस्थापित करने के लिए मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2008 में एक राष्ट्रीय स्तर समीक्षा समिति (रा.स्त.स.स.) का गठन किया गया था। रा.स्त.स.स. ने पौषणिक प्रतिमानों की सिफारिश की, जैसा नीचे **तालिका 2.3** में दिया गया है:

तालिका 2.3: पौषणिक प्रतिमान

क्र.सं.	घटक	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक
1.	कैलोरी	450	700
2.	प्रोटीन	12 ग्राम	20 ग्राम
3.	माइक्रो पोषक	आयरन, फोलिक एसिड तथा विटामिन ए जैसे माइक्रो पोषकों की पर्याप्त मात्राएं	

समिति ने उपर्युक्त प्रतिमान प्राप्त करने के लिए प्रदान किए जाने वाले खाद्यान्नों, सब्जियों, दालों, आदि की मात्रा की भी सिफारिश की जैसा नीचे **तालिका 2.4** में दिया गया है:

तालिका 2.4: खाद्यान्नों, सब्जियों, दालों आदि की गुणवत्ता

क्र.सं.	मद	प्रतिदिन मात्रा	
		प्राथमिक	उच्च प्राथमिक
1.	खाद्यान्न	100	150
2.	पत्तीदार सब्जियां और अन्य सब्जियां	50	75
3.	दालें	20	30
4.	तेल	5	7.5
5.	मसाले	10	15

रा.स्त.स.स. ने उपर्युक्त मदों तथा श्रम प्रभारों सहित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्तर पर ₹3.08/₹4.60 प्रति बच्चा खाना पकाने की लागत अपनाने की सिफारिश की थी। उन्होंने यह भी सफारिश की कि मूल्य सूचकांक में वृद्धि के आधार पर खाना पकाने की लागत प्रतिवर्ष संशोधित की जानी चाहिए। आर्थिक मामलों की केबिनेट समिति ने रा.स्त.स.स. की सिफारिश पर विचार किया और 1 दिसम्बर 2009 से प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्तर के लिए ₹2.50/₹3.75 की दर पर खाना पकाने की लागत अनुमोदित की।

इसके अलावा खाना पकाने की लागत बाद के वर्षों में 1 अप्रैल से 7.5 प्रतिशत तक उर्ध्वगामी संशोधित की गई थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि मंत्रालय द्वारा संशोधित खाना पकाने की लागत की दरें मुद्रास्फीति दर के अनुरूप संशोधित नहीं की गई थी। मुद्रास्फीति दर की तुलना में गैर पूर्वोत्तर क्षेत्र राज्यों में प्राथमिक स्तर पर खाना पकाने की लागत की दरें नीचे **तालिका 2.5** में दी गई है:

तालिका 2.5: खाना पकाने की लागत की दरें

(राशि ₹ में)

वर्ष	मंत्रालय हिस्सा	राज्य हिस्सा	जोड़	पूर्व वर्ष में मुद्रास्फीति दर	मुद्रास्फीति दर के अनुसार खाना पकाने की लागत	अन्तर
2011	2.17	0.72	2.89	12.11	3.24	-0.35
2012	2.33	0.78	3.11	8.87	3.53	-0.42
2013	2.51	0.83	3.34	9.3	3.85	-0.51
2014	2.51	0.83	3.34	10.92	4.27	-0.93

इस प्रकार यह देखने में आएगा कि वर्ष 2011 से मुद्रास्फीति दर लगातार विविध रही थी परन्तु खाना पकाने की लागत की दरें मुद्रास्फीति दर के अनुरूप संशोधित नहीं की गई थीं। इसके परिणामस्वरूप योजना के मुख्य घटक के प्रति निधियों का कम प्रवाह हुआ।

मुद्रास्फीति दर के अनुसार खाना पकाने की लागत यौक्तिकीकरण न करना खाना पकाने के संघटकों की उपलब्धता पर और खाने में अपेक्षित पौषणिक मात्रा पर सीधा सम्बन्ध रखता है।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (नवम्बर 2014) कि सक्षम प्राधिकरण अर्थात आर्थिक मामलों की केबिनेट समिति (आ.भा.के.स.) ने मुद्रास्फीति के आधार पर खाना पकाने की लागत संशोधित करने का अनुमोदन नहीं किया था। मंत्रालय ने यह भी बताया कि खाना पकाने की लागतें एम.डी.एम. योजना के अन्तर्गत निर्धारित पौषणिक प्रतिमानों तथा कैलोरीय मात्राओं के साथ खाना प्रदान करने के लिए पर्याप्त नहीं है। लगभग सभी राज्यों ने उल्लेख किया है कि खाना पकाने की लागत पर्याप्त नहीं थी।

इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि एम.डी.एम. योजना खाना पकाने की लागत के पर्याप्त प्रावधान बिना कार्यान्वित की जा रही थी।

सिफारिशें:

- मंत्रालय मित्व्ययी रूप से तथा दक्षता पूर्वक योजना लागू करने के लिए म.भो. प्राप्त करने वाले बच्चों की वास्तविक संख्या पर वास्तविक डाटा प्रग्रहय करने की प्रणाली स्थापित करे। राज्यों द्वारा प्रस्तुत डाटा की स्वतंत्र जाचों के माध्यम से सावधानी पूर्वक जांच की जानी चाहिए। म.भो. प्राप्त करने वाले बच्चों के सम्बन्ध में सहमति प्राप्त करने की एक प्रणाली आंकड़ों की हेरा फेरी की जांच करने के लिए सम्मिलित की जाए।
- म.भो. योजना के अन्तर्गत निर्धारित पौषणिक प्रतिमानों तथा कैलोरीय मात्रा के साथ भोजन प्रदान करने के लिए खाना पकाने की लागत की दरें मुद्रास्फीति के अनुपात में संशोधित की जाय।